2020/00...

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 123 /2020 तारीखरजू:– 18.11.2020

उनवान:– चौथीलाल बनाम रामसिंह वगै0

दावा वावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
18/11/2020	वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत बटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 04.12.2020 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	5915-31 18.11.2020
4.12.20	वादी वकील उप0। प्रतिवादी नं. 2 से 9 ने सम्मन लेने से इन्कार किया है। प्रतिवादी नं. 10 से 16 व 1 के सम्मन अदम तामील से प्राप्त हुए है। प्रतिवादी नं. 17 का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं है। कोई उपस्थित नहीं है। P.O. S.D.O. चुनाव कार्य में व्यस्त है। आईन्दा दिनांक 15.1.21 को पेश हो।	
	Not Press	
12.1.21	वादी एवं वादी वकील ने पत्रावली तलब करने एवं पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते तथा मुकदमा खारिज करने प्रार्थना पत्र पेश किया। वादी ने मुकदमा Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। वादी वकील ने पत्यान व मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अत: दावा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर जमा से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	Hearing (sd)